न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
गृह नियंत्रण वाद संख्या- 86 / 2014
शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक लहेरियासराय बनाम कांति श्रीवास्तव

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
30.12.2016		

आदेश

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद आवेदक शाखा प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, कमर्शियल चौक, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से गृह नियंत्रक –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा गृह नियंत्रण वाद संख्या–01 / 2014 कांति श्रीवास्तव बनाम अध्यक्ष –सह– प्रबंध निदेशक इलाहाबाद बैंक, प्रधान कार्यालय नेताजी सुभाष मार्ग, में दिनांक–21.10.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष (मकान मालिक) के भवन में अपीलार्थी का बैंक चल रहा है जिसका स्वच्छ मासिक किराया निर्धारण हेतु प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष द्वारा याचना की गयी कि किराया परिसर का लीज दिनांक–04.12.2013 को कालातीत हो चुका है एवं अपीलार्थी पुराना दर से ही किराया दे रहे हैं जिसपर गृह नियंत्रक ने अंचल अधिकारी, बहादुरपुर तथा कार्यपालक अभियंता से जाँच प्रतिवेदन की माँग किया एवं जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो गलत हैं तथा भवन सामग्री एवं नगर निगम होल्डिंग टैक्स में वृद्धि के आधार पर अपीलार्थी के बैंक भवन का स्वच्छ मासिक किराया मो0–17620 / – रूपये कारपेट एरिया 881 वर्गफूट का मो0–20 / – रूपये प्रति वर्गफीट की दर से निर्धारित कर दिया गया जो भवन नियंत्रण स्वच्छ (किराया,लीज एवं बेदखली) अधिनियम की धारा–8 के विरूद्ध है। अतः आदेश दिनांक–21.10.2014 को अपास्त किया जाय।

प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का बैंक इनके भवन में जिसका कारपेट रकबा 881 वर्गफूट है में दिनांक–05.12.2003 से 4 रूपया प्रति वर्गफूट की दर से कुल स्वच्छ मासिक किराया मो0–3524.00 रूपया के भुगतान पर चल रहा है। उक्त लीज दिनांक–04.12.2013 को समाप्त हो चुका है परंतु बैंक अभी भी चल रहा है तथा मासिक किराया बढ़ोतरी का अनुरोध किया। परंतु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। भवन व्यावसायिक क्षेत्र में स्थित है। भवन के रख–रखाव सामग्री एवं नगर निगम होल्डिंग कर में बढ़ोतरी हो गयी है। अंचल अधिकारी ने स्थानीय स्वच्छ मासिक किराया के अनुरूप ही प्रतिवेदित किया है तथा भवन अभियंता के प्रतिवेदनानुसार भवन अच्छी स्थिति में है। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि गृह नियंत्रण –सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा द्वारा पारित आदेश सही है।

अभिलेख पर संधारित तथ्यों एवं गृह नियंत्रण वाद संख्या–01 / 2014 तथा आदेश दिनांक–21.10.2014 का अवलोकन किया। अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी का बैंक शहर के बीच व्यावसायिक क्षेत्र में सड़क किनारे अच्छी स्थिति के मकान में वर्ष–2003 से चल रहा है तथा वर्त्तमान में स्थानीय प्रचलित स्वच्छ मासिक किराया के आलोक में अंचल अधिकारी, बहादुरपुर तथा भवन अभियंता के प्रतिवेदन पर दृष्टिगोचर कर प्रश्नगत् भवन का स्वच्छ मासिक किराया कारपेट क्षेत्रफल 881 वर्गफूट का 20 रूपये भुगतान करने का आदेश पारित किया है, जो न्यायहित में सही है। अपीलार्थी के उक्त आदेश को खण्डित करने हेतु कोई सार्थक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में गृह नियंत्रक के आदेश दिनांक–21.10.2014 को सम्पुष्ट करते हुए अपीलार्थी के अपील को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख गृह नियंत्रक–सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञापांक ______ / जिला विधि, दिनांक ______ /17

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, दरभंगा को आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

ह0—
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा
दरभंगा।

ज्ञापांक 74 / जिला विधि, दिनांक 11-01-17

प्रतिलिपि :- जिला सिस्टम [illegible] प्रबन्धक, एन० आई० सी० दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

11/01/17
प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि प्रशाखा,
दरभंगा।
10/1/17